1. लडडू पुत्र नारायण आयु 57 वर्ष, जाति खाती, निवासी ग्राम खेडा जगन्नाथपुरा तहसील चाकसू व जिला जयपुर जरिये संरक्षक हनुमान पुत्र नारायण आयु 55 वर्ष,

––अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती आनन्दी देवी धर्मपत्नी श्री लादूराम, जाति खाती, निवासी रामपुरावास गोनेर, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत शिवदासपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर जरिये सचिव।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. **श्री रामचन्द्र शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री ए.पी.सिंह एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 06.07.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.07.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी के हक व हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 655 रकबा 0.56 हैक्टयर, खसरा नम्बर 656 रकबा 0.48 हैक्टयर, खसरा नम्बर 701 रकबा 0.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 702 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 703 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 704 रकबा 0.33 हैक्टयर, खसरा नम्बर 705 रकबा 0.67 हैक्टयर, खसरा नम्बर 706 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 707 रकबा 0.45 हैक्टयर कुल किता 9 कुल रकबा 3 हैक्टयर ग्राम खेडा जगन्नाथपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है जिसमें अपीलार्थी लड्डू का 1/4 हिस्सा निहित है तथा अपीलार्थी एक अशिक्षित एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति है जिसे दस्तावेज एवं राजकाज की कोई समझ नही है, अपीलार्थी की उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति के बाबत उपखण्ड अधिकारी चाकसू व सिविल न्यायालायों में मुकदमें चल रहे है, तथा अपीलार्थी को समझ नही होने से अपीलार्थी की ओर से अपीलार्थी का भाई हनुमान ही कार्यवाही करता है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट के पति लादूराम जो कि अपीलार्थी का भाई लगता है तथा अपीलार्थी की जमीन को हड़प किये जाने की नियत से अपीलार्थी के मन्दबुद्धि तथा राजकाज की समझ नही होने का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट के पुत्र एवं रिश्तेदार राधाकिशन तथा रेस्पोडेन्ट के पति लादूराम ने षडयंत्र पूर्वक अपीलार्थी की जानकारी के बिना अपीलार्थी के अंगूठा निशानियां कई दस्तावेजों पर करवा

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

लिये जिसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी नही है तथा रेस्पोडेन्ट एवं रेस्पोडेन्ट के पति लादूराम द्वारा अपीलार्थी को कभी भी यह नही बताया कि वह अपीलार्थी की उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का विक्रय पत्र अपनी पत्नी के हक में निष्पादित करवा रहा है किन्तु अपीलार्थी को यह आशंका थी कि रेस्पोडेन्ट के पति लादूराम के द्वारा कुछ दस्तावेजात अपीलार्थी से तैयार करवाये है जिसके बाबत अपीलार्थी ने न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 3 जयपुर शहर के समक्ष इस्तगासा दर्ज कराया था उसके पश्चात् माननीय न्यायालय के द्वारा उक्त इस्तगास पुलिस थाना शिवदासपुरा को धारा 156(3)दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत भिजवा दिया गया जिस पर प्रथम सूचना दर्ज की जाकर जिसके अनुसंधान के दौरान लादूराम ने ऐसे किसी दस्तावेज के होने के बारे में जानकारी नही दी एवं अनुसंधान अधिकारी ने प्रकरण में एफ.आर. लगा दी गई ''यह कहते हुए कि अपीलाथी के खाली कागज पर अंगूठा निशानी करवा ली गई है तो वह दस्तावेज अभी कही प्रस्तुत नही हुआ इसलिये अभी तक न तो अपीलार्थी को हानि या अप्रार्थी को लाभ हुआ है। यदि ऐसा कोर्ठ दस्तावेज प्रस्तुत होगा तभी सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना संभव है।''

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नारायण बनाम लादू के नाम से एक भूमि विवादग्रस्त के बाबत उपखण्ड अधिकारी चाकसू के यहॉ विचाराधीन है जिसमें सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई थी जिस कारण किसी प्रकार का कोई हस्तान्तरण नही हुआ था दिनांक 28.06.2010 को अस्थाई निषेधाज्ञा के हटते ही कुछ दिन पश्चात् ही अपीलार्थी को जानकारी हुई कि अपीलार्थी की खातेदारी का विक्रय रेस्पोडेन्ट के नाम हो गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 225 दिनांक 05.07.2017 को रेस्पोडेन्ट के हक में तस्दीक कर दिया है जिसके सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 16.11.2007 को अपीलार्थी से एक विक्रय पत्र उप पंजीयक सांगानेर प्रथम के यहॉ प्रस्तुत करवा दिया, उक्त विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लादूराम की पत्नी है के हक में पंजीबद्ध करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें गवाह लादूराम का पुत्र रामस्वरूप एवं लादूराम का रिश्तेदार राधाकिशन पुत्र रामनारायण ने हस्ताक्षर किये है।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि उक्त विक्रय पत्र बिना प्रतिफल के धोखे से एवं मन्दबुद्धि की अवस्था में कराया है इस कारण विक्रय पत्र जो रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 16.11.2007 को पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया और विक्रय पत्र दिनांक 01.07.2010 के आधार पर तस्दीक कराया गया नामान्तरकरण संख्या 225 दिनांक 05.07.2010 अवैध दस्तावेज के आधार पर तस्दीक किया होने से अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कि तथा उक्त अपील प्रस्तुत होने के पश्चात् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के यहॉ ट्रांसफर कर दी गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के वास्तविक तथ्यों एवं दस्तावेजों के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.07.2017 पारित किया गया है जो विधि विधान व पत्रावली के तथ्यों एवं दस्तावेजों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील के

P.T.O.

सभागीय आयुक्त
जयपुर

निरस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.07.2017 एवं नामान्तरकरण संख्या 225 पर पारित आदेश दिनांक 05.07.2010 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि नामान्तरकरण आदेश दिनांक 05.07.2010 की जानकारी अपीलान्ट लड्डू को आदेश की दिनांक से ही थी क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 225 विक्रय पत्र दिनांक 16.11.2007 के दिनाक 01.07.2010 को उप पंजीयक सांगानेर प्रथम के द्वारा अपीलान्ट लड्डू की उपस्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में पंजीबद्ध किया गया तथा पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर उक्त नामान्तरकरण लड्डू व रेस्पोडेन्ट के समक्ष दिनांक 05.07.2010 को नामान्तरकरण तस्दक किया गया है इस प्रकार से अपीलाधीन नामान्तरकरण की अपीलान्ट को दिनांक 05.07.2010 से ही जानकारी थी। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी लड्डू मंदबुद्धि व्यक्ति नही है बल्कि वह मानसिक रूप से पूर्ण रूपेण स्वाथ्य व्यक्ति है तथा उसके सोचने समझने की शक्ति पूर्ण रूप से सही है, अपीलान्ट लड्डू अपने हित एवं अहित के बारे में सब कुछ सोचता एवं समझता है इसलिये अपील प्रस्तुत किये जाने से पूर्व अन्य विभिन्न न्यायालयों तथा सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालयों में जो भी कानूनी कार्यवाही की गई है व स्वयं लड्डू द्वारा ही की गई है, लड्डू के हिस्से की भूमि को हड़पने के लिए हनुमान ने एक साजिश के तहत उक्त अपील में अपने आपको का लड्डू का संरक्षक बताते हुए उक्त अपील प्रस्तुत की है जबकि कानूनी रूप से लड्डू का हनुमान संरक्षक हो ही नही सकता क्योंकि लड्डू का पिता नारायण अभी जीवित है जो कि लड्डू का कानूनी एवं प्राकृतिक संरक्षक की श्रेणी में आता दूसरा दिनांक 16.05.1998 को लड्डू के द्वारा रामप्रसाद पुत्र हनुमान को गोद लिया हुआ है, इस प्रकार से रामप्रसाद लड्डू का दत्तक पुत्र हक जिसे अपने दत्तक पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त है जो अपने दत्तक पिता की ओर से कार्यवाही करने के लिऐ सक्षम है। इसलिये अपीलान्ट लड्डू का प्राकृतिक पिता एवं दत्तक पुत्र रामप्रसाद के होते हुऐ हनुमान को जो अपीलान्ट का भाई है, संरक्षक के रूप से अपील पेश करने का कानूनन अधिकार प्राप्त नही है इसलिये हनुमान द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलान्ट पोषणीय नही होने के कारण भी खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि दिनांक 16.11.2007 को अपीलान्ट ने अपने हिस्से की आराजी का विक्रय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 10 लाख रूपये में कर कब्जा संभला दिया था तथा दिनांक 16.11.2007 को गवाहान रामस्वरूप और राधाकिशन के समक्ष उक्त राशि प्राप्त कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में रजिस्ट्री टाईप कराकर उस पर अपनी अंगूठा निशानी कर उप पंजीयक सांगानेर प्रथम जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई परन्तु विक्रय पत्र में अंकित खसरा नम्बर की भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट के पिता ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष प्रस्तुत कर रखा था उसमें न्यायालय का स्थगन होने के कारण रजिस्ट्री

P.T.O.

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

तस्दीक नही हो सकी और उप पंजीयक सांगानेर द्वारा तस्दीक की कार्यवाही रोक की दी गई एवं जून 2010 मे न्यायालय का स्थगन आदेश खारिज हो जाने के कारण दिनांक 01.07.2010 को अपीलान्ट स्वयं उप पंजीयक के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 16.11.2007 को पेश की गई रजिस्ट्री का पंजीयन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कराया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि दिनांक 10.07.2007 को अपीलान्ट के पिता नारायण ने विवादित भूमि के सम्बन्ध में लादूराम, गोविन्दी देवी, लड्डू, हनुमान एवं सरकार के विरूद्ध एक दावा पेश किया था जिसमें लड्डू की तामिल हो जाने पर उसकी ओर से श्री रामचन्द्र शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जिस पर लड्डू अपीलान्ट की अंगूठा निशानी है तथा दिनांक 11.09.2007 को लड्डू व हनुमान की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसके प्रत्येक पेज पर लड्डू की अंगूठा निशानी है, उक्त प्रस्तुत किये गये जवाब दावे में कही भी यह तथ्य अंकित नही है कि लड्डू मंदबुद्धि व्यक्ति है जिससे पूर्णतया साबित है कि अपीलान्ट लड्डू मंदबुद्धि व्यक्ति नही है अपितू पूर्णरूप से स्वस्थ व्यक्ति है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि दिनांक 15.05.2008 को अपीलान्ट लड्डू ने न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 3 जयपुर में एक फौजदारी परिवाद प्रस्तुत किया जिस पर भी परिवादी लड्डू की अंगूठा निशानी है तथा इस प्रकार प्रस्तुत किये गये वकालतनामा पर भी लड्डू की अंगूठा निशानी है तथा दिनांक 21.08.2010 को एक परिवाद न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 3 जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर भी लड्डू की अंगूठा निशानी है जिसमें स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर परिवाद प्रस्तुत किया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलान्ट लड्डू मंद बुद्धि व्यक्ति नही है अपितू मानसिक एवं शारीरिक रूप से वह स्वस्थ बुद्धि का व्यक्ति है जिसे अपने अच्छे–बुरे के बारे में सोचने समझने की पूर्ण जानकारी है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रथम तो पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि हस्तगत अपील में अपीलान्ट लड्डू को मंदबुद्धि व्यक्ति और संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति द्वारा बिना प्रतिफल के वादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र को शून्य विक्रय पत्र बताते हुए विक्रय पर के आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 225 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है जबकि लड्डू द्वारा रामप्रसाद के हक में गोदनामा तहरीर करवाया जाना व अन्य विभिन्न न्यायालयों में चले रहे मुकदमों की पैरवी उसके स्वयं के द्वारा किये जाने, विक्रय पत्र पंजीकृत कराना इत्यादि तथ्यों से प्रथम दृष्टया अपीलान्ट लड्डू मंदबुद्धि व्यक्ति प्रतीत नही होता है, द्वितीय प्रकरण के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलान्ट लड्डू द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में वादग्रस्त आराजी का रजिस्टर्ड विक्रय के माध्यम से बैचान किया गया है

P.T.O.

जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 225 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में स्वीकार किये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प सरपंच, ग्राम पंचायत शिवदासपुरा के समक्ष उपलब्ध ही नही था तथा अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा अथवा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये है जिससे उक्त विक्रय पत्र को किसी भी सक्षम न्ययालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया गया हो जिससे स्पष्ट है कि उक्त विक्रय पत्र वर्तमान में भी प्रभावी व प्रचलन में जिसके आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 225 वाके ग्राम खेड़ा जगन्नाथपुरा को निरस्त किये जाने के ठोस आधार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही थे। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.07.2017 में किसी प्रकार की कानूनी त्रृटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.07.2017 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।